

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल।

नामांतरण अपील वाद सं०- 27/2008-09

मो० सुफियान अली

बनाम

मो० अब्दुल सत्तार व अन्य

आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदन आवेदक मो० सुफियान अली एवं मो० गोफरान अली, पिता- स्व० अब्बास अली, सा०- कांजोल, थाना- कोटालपोखर, जिला- साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं० 276/1986-87 में दिनांक 30.06.1986 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षति आवेदन दाखिल की गयी है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 08.02.2006 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी:-

मौजा	खाता सं०	दाग सं०	रकवा
दरियापुर	167	292	00-06-04

उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचीबद्ध कागजात

दाखिल की गई, जो निम्न प्रकार है:-

1. जमाबंदी नं०- 167, दाग नं०- 292 का वर्तमान कच्चा पर्चा की छाया प्रति।
2. अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2011 की छाया प्रति।
3. हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन की छाया प्रति।
4. पर्चा की छाया प्रति (हिन्दी में)

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा दरियापुर, जमाबंदी नं०- 167, दाग नं०- 292, रकवा 01 बीघा 04 कट्टा 16 धूर जमीन हफीजुद्दीन शेख, हाजी रियाज मोहम्मद एवं समशुद्दीन शेख के नाम से दर्ज है। हाजी रियाज मोहम्मद को पांच पुत्री थी, परन्तु पांचों की मृत्यु हो गयी। फलस्वरूप उक्त जमीन के मात्र अब दो हिस्सेदार रह गये हैं। अर्थात् हफीजुद्दीन शेख एवं समशुद्दीन शेख के हिस्से में 12 कट्टा 08 धूर जमीन आता है। हफीजुद्दीन के दो पुत्र यथा मुस्तफा हाजी एवं अब्बास अली हुए। दोनों अपीलार्थी अब्बास अली के पुत्र हैं। इसके फलस्वरूप अपीलार्थी के पिता अब्बास अली के हिस्से 06 कट्टा 04 धूर जमीन आता है। उनका यह कहना है कि न तो अब्बास अली, पिता- हफीजुद्दीन के द्वारा न ही उनके दोनों पुत्र सुफियान अली एवं गोफरान अली के द्वारा अपने हिस्से की जमीन रकवा 06 कट्टा 04 धूर बेची गई है। बिना किसी विक्रीनामा या दान संबंधी कागजात के उत्तरवादी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की मिली भगत से मौजा दरियापुर के रकवा 01 बीघा 04 कट्टा 16 धूर जमीन जिसमें अपीलार्थी के कुल हिस्से की भी जमीन है, का दाखिल खारिज करवा लिए हैं। उक्त दाखिल खारिज में अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का नोटिश प्राप्त नहीं कराया गया है साथ ही वर्तमान में उक्त जमीन अपीलार्थी के भोग दखल में है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण अपील वाद सं० 276/1986-87 में दिनांक 30.06.1986 को पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किया गया है।

आज उत्तरवादी उपस्थित। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

1. क्रि0मि0 वाद सं0 60/2006 दिनांक 20.03.2006 के आदेश की छाया प्रति।
2. FIR No. 01/06 का पुलिस प्रतिवेदन की छाया प्रति।
3. पुलिस अधीक्षक को समर्पित आवेदन की छाया प्रति।
4. विक्री केवाला सं0 3191/1984 की छाया प्रति हिन्दी में।
5. अब्दुल सत्तार दीगर के नाम मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
6. अनिबंधित केवाला दिनांक 05.04.1980 की छाया प्रति।
7. अनिबंधित केवाला दिनांक 05.12.1942 की छाया प्रति।
8. पारिवारिक बंटननामा की छाया प्रति।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में पुलिस अधीक्षक को जमीन वापस दिलाने संबंधी आवेदन दाखिल किया गया था, जिस आवेदन पर अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल में क्रि0मि0 वाद 60/2006 प्रारंभ हुई। उक्त वाद में प्रथम पक्ष को अपना स्वत्व के लिए सक्षम न्यायालय जाने का सुझाव देते हुए प्रथम पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने संबंधी आदेश पारित किया गया है।

साथ ही अब्बास अली जो अपीलार्थी के पिता है वर्ष 1950 में ही अपने हिस्से की जमीन 06 कट्टा 04 धूर जमीन अनिबंधित केवाला द्वारा अपने चाचा समसुद्दीन की दूसरी पत्नी नेसा बीबी को बेच दिये है। फलस्वरूप अपीलार्थी के हिस्से में जमीन बचता ही नहीं है।

अतः उत्तरवादी की प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 276/1986-87 में दिनांक 30.06.1986 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, बरहरवा से मूल अभिलेख अप्राप्त। साथ ही उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक 78/रा0, दिनांक 16.09.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वाद से संबंधित LCR उपलब्ध नहीं है। यह एक अत्यंत ही गंभीर मामला है।

यह न्यायालय सभी पक्षों को स्मरण कराना चाहेगी कि किसी भी सरकारी अभिलेख का एक इतिहास होता है। अभिलेख के कुछ कागजातों का फट जाना या नष्ट हो जाना प्रायः देखा जाता है, परन्तु अधिकांश ऐसे मामलों में मूल अभिलेख को बल देने योग्य Supporting Documents उपलब्ध होते हैं। वर्तमान वाद में विपक्षियों द्वारा न तो मूल अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, न ही Supporting Documents जैसे रजिस्टर- 7/27 की कॉपी, शुद्धि पत्र का नकल, 16 आना रैयतों को निर्गत नोटिश, हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन। यह अपने आप में विचित्र है एवं अंचल कार्यालय की सत्यनिष्ठा के लिए हानिकारक है।

अतः अंचल अधिकारी, बरहरवा को निदेश दिया जाता है कि मामले की गहन छान-बीन कर जिम्मेदारी निश्चित करते हुए कानूनी कार्रवाई करें।

उत्तरवादी की ओर से न तो पूर्व में पारित आदेश की कोई प्रति है न ही शुद्धि पत्र है। 16 आना रैयत को निर्गत की गई नोटिस भी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 में दिये गये प्रावधानों की खासकर धारा 14 का पालन नहीं किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 276/1986-87 में दिनांक 30.06.1986 को पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
राजमहल।